O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 135
Date 08 APR 2022
AGM (IT)
SE (O)/SE Web
EE
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)
(अपील प्र.क्रं. – 03/2022 दिनांक 11.03.2022)

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –03/2022/ 21 रायपुर, दिनांक 05/04/2022

श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी अपीलार्थी
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 05/04/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, के निर्णय दिनांक 03.02.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी :–	अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित पत्र कमांक 01–05/पी.डी.–दो/5494 दिनांक 29.12.2021 के बिन्दु कमांक 09 एवं 13 में उल्लेखित BOD की बैठक दिनांक 22.07.2021 में पारित निर्णय की सत्यापित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील का कारण :–	जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार के तहत् प्रदत्त आवेदन का गलत अर्थ निकाल कर जानकारी प्रदान नहीं किया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा उल्लेखित प्रकरण एम.सी.रत्नकरण विरूद्ध केनरा बैंक 1525/2008 के प्रकरण में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिये गये निर्णय का अवलोकन करें, जिसमें वाणिज्यिक जानकारी सम्मिलित होने के कारण बैंक के बोर्ड ने बैठक की समस्त जानकारी प्रदाय करने हेतु मना किया गया है। साथ ही केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह भी निर्णय दिया है कि यदि किसी बिन्दु विशेष पर आवेदनकर्ता जानकारी चाहता है तो उसे प्रदाय किया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि अपीलार्थी को CSPHCL के BOD की बैठक दिनांक 22.07.2021 में अधोहस्ताक्षरकर्ता के लिफाफे में बंद पदोन्नति आदेश के खोले जाने विषयक BOD के Resolution की प्रति प्रदान करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण
		29.03.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित, अगली तिथि 31.03.2022 ।
		31.03.2022	दोनों पक्ष उपस्थित, सुनवाई सम्पन्न।
(IV)	अपीलार्थी का तर्क :–	चाही गयी जानकारी/दस्तावेज BOD की बैठक दिनांक 22.07.2021 में पारित निर्णय से संबंधित है। जो सूचना का अधिकार की धारा 8 के तहत् छूट प्राप्त नहीं है। अतः उन्हे जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जावें।	
(V)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही के तर्क :–	जनसूचना अधिकारी तथा DPIO द्वारा तर्क दिया कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी को पत्र कमांक 244 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एम. सी. रत्नकरन वि. कैनरा बैंक 1525/2008 दिनांक 19.02. 2008 में पारित निर्णय के अनुसार कंपनी के निर्देशक मण्डल की बैठक आयोजित की गई, बैठक की समस्त जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती है। उसकी छायाप्रति दी जाने योग्य नहीं है। यद्यपि आपके लेख अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक 5494 दिनांक 29.12.2021	

		में संबंधित BOD की बैठक में पारित निर्णय की जानकारी आपको दी जा चुकी है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को की विवेचना से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी और DPIO द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः न्यायसंगत नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी दस्तावेज स्वंय से संबंधित है। अतएव दस्तावेज तृतीय पक्ष संबंधी सूचना नहीं है। उक्त दस्तावेज के प्रकटन से धारा 8 (1) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है और यह सूचना अभिमुक्त रखे जाने योग्य नहीं है। जानकारी केवल उस स्थिति में नहीं दी जा सकती है, जब अधिनियम की धारा 8(1) प्रभावित होते है। अतः जनसूचना अधिकारी का यह तर्क कि जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है तर्कसंगत नहीं है।

यह लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध–न्यायिक कार्य है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दें।

तालिका 02 में उल्लिखित प्रकरण एम.सी.रत्नकरण विरूद्ध केनरा बैंक 1525/2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सूचना आयोग ने वाणिज्यिक जानकारी सम्मिलित होने के कारण बैंक के बोर्ड संबंधी बैठक की समस्त जानकारी प्रदाय किये जाने से मना किया है। साथ ही केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह भी तर्क दिया है कि किसी विशेष जानकारी को अधिनियम के अंतर्गत दी जाने योग्य है। अतः विनिश्चय के तद्उपरांत अपीलार्थी को जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत होगा।

(4) – उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तालिका 01 में चाही गयी निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज 07 दिन के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित पत्र क्रमांक 01–05/पी.डी.–दो/5494 दिनांक 29.12.2021 के बिन्दु क्रमांक 09 एवं 13 में उल्लेखित BOD की बैठक दिनांक 22.07.2021 में पारित निर्णय की सत्यापित प्रति।

तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण (पंजी. क्रमांक 03/2022 दिनांक 11.03.2022) एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा0सं0)– तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्री एन.डब्ल्यू.हेनरी, अति. मुख्य अभियंता, फ्लेट नं. 5204, शांति रेसीडेंसी, गंगा डायग्नोस्टिक सेंटर के पास, पंचपेड़ी नाका, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर